

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट सुरास तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:-श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-112/2013 (266/2011) राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- 1-श्री बालू पिता जेता ओड़, उम्र बालिग निवासी सुरास तह0 मांडल जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री देवी पिता जेता ओड़, उम्र बालिग निवासी सुरास तह0 मांडल जिला भीलवाड़ा
- 3-श्री बद्री पिता जेता ओड़, उम्र बालिग निवासी सुरास तह0 मांडल जिला भीलवाड़ा
- 4-श्री अमरा पिता जेता ओड़, उम्र बालिग निवासी सुरास तह0 मांडल जिला भीलवाड़ा
- 5-श्रीमतिरूपी पुत्री जेता ओड़, उम्र बालिग निवासी सुरास तह0 मांडल जिला भीलवाड़ा
- 6-श्री बंशी पिता जगरूप ओड़, उम्र बालिग निवासी सुरास तह0मांडल जिला भीलवाड़ा
- 7-श्री गोरिया पिता जगरूप ओड़, उम्र बालिग निवासी सुरास तह. मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) —वादीगण

लाग

- 1-श्री महेश नारायण पिता जयशंकर जोशी, उम्र बालिग निवासी सुभाषनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 2-श्री भैरूलाल पिता भुवाना गाडरी, उम्र बालिग निवासी सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 3-श्री दिलीप कुमार पिता प्यारेकिशन सुवालका, उम्र बालिग निवासी विलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा के वजाय विक्रय से निम्न के व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया जो इस प्रकार है:-
 - 3/1-श्री सत्यनारायण पिता बंशीलाल शर्मा, उम्र बालिग निवासी सुरास तह0 मांडल
 - 3/2-श्री पीन्दू पिता लादूलाल सुवालका, उम्र बालिग निवासी सुरास तह0 मांडल
 - 3/3-श्री आविद अली पिता अकबर अली बोहरा, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा
- 4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा —प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 13.6.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित में वादीगण का वाद पत्र प्राप्त विभाजन रकीम के अनुसार रवीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील मांडल



उपखण्ड अधिकारी
मांडल

जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्से अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी हिस्से व विभाजन अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1-श्री बालू पिता जेता ओड़, उम्र बालिग, श्री देबी पिता जेता ओड़, उम्र बालिग, श्री बंद्री पिता जेता ओड़, उम्र बालिग, श्री अमरा पिता जेता ओड़, उम्र बालिग, श्रीमति रूपी पुत्री जेता ओड़, उम्र बालिग, निवासीयान सुरास तह0 मांडल जिला भीलवाड़ा वादीगण संख्या 1 से 5 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कीजावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1332	—	18 बिस्वा
1333	—	14 बिस्वा
1340/1	—	05 बिस्वा
1324/1	—	03 बिस्वा
1322/1	—	09 बिस्वा
1321/1	—	05 बिस्वा
1316/2	—	13 बिस्वा
1317	—	12 बिस्वा

कुल किता 8 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा लगान —


2-श्री बंशी पिता जगरूप ओड़, उम्र बालिग, श्री गोरिया पिता जगरूप ओड़, उम्र बालिग निवासीयान सुरास तह. मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादीगण संख्या 6 से 7 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1316/3	—	14 बिस्वा
1321/2	—	14 बिस्वा
1343/1	—	02 बिस्वा
1350	—	10 बिस्वा

कुल किता 4 रकबा 2 बीघा — लगान —

3-श्री भैरूलाल पिता भुवाना गाडरी, उम्र बालिग 1/2 हिस्सा, निवासी सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) श्री दिलीप कुमार पिता प्यारेकिशन सुवालका, उम्र बालिग निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा के बजाय विक्रय से निम्न के व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया जो इस प्रकार हैं:-श्री सत्यनारायण पिता बंशीलाल शर्मा, उम्र बालिग 1/4 हिस्सा निवासी सुरास तह0 मांडल जिला भीलवाड़ा, श्री पीन्टू पिता लादूलाल सुवालका, उम्र बालिग 1/8 हिस्सा निवासी सुरास तह0 मांडल, श्री आबिद अली पिता अकबर अली बोहरा, उम्र बालिग 1/8 हिस्सा निवासी भीलवाड़ा




उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1316/1	-	12 बिस्वा
1321	1 बीघा	09 बिस्वा
1322	1 बीघा	02 बिस्वा
1324	-	07 बिस्वा
1179/1	-	09 बिस्वा
<hr/>		
कुल किता 5 रकबा	3 बीघा	19 बिस्वा लगान

नोट:-कम संख्या 3 पर अंकित व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के खाते में अंकित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की जाने से तथा जरिये इंतकाल नम्बर 1888 दिनांक 6.3.2013 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 भैरूलाल पिता भुवाना गाडरी के नाम तथा जरिये इंतकाल नम्बर 2081 दिनांक 21.10.2016 के द्वारा विक्रय से दिलीप कुमार के बजाय 3/1 के 1/4 हिस्सा, 3/2 के 1/8 हिस्सा, 3/3 के 1/8 हिस्सा अनुसार भूमि दर्ज किये जाने की स्वीकृति हुई।

4-श्री महेश नारायण पिता जयशंकर जोशी, उम्र वालिग निवासी सुभाषनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1366	1 बीघा	06 बिस्वा
1179	-	13 बिस्वा
<hr/>		
कुल किता 2 रकबा	1 बीघा	19 बिस्वा लगान

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सी.एल.शर्मा)

आर0ए0एस0

उपसचिव अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 13.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

उपसचिव अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा

